

# समाहरणालय, गोपालगंज

(जिला राजस्व शाखा)

पत्रांक.....५२/रा०

दिनांक २९-०३-२०२२

प्रेषक,

समाहर्ता,  
गोपालगंज।

सेवा में,

अध्यक्ष,  
बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद,  
बिहार, पटना।

विषय :- बिहार विधान सभा में दिनांक-०७.०३.२०२२ को ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- भवदीय पत्रांक-५४२५ दिनांक-०५.०३.२०२२ एवं संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, बिहार, पटना का पत्रांक-१२५५/जे०, दिनांक-०५.०३.२०२२

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र में वर्णित कण्डिका के अनुसार गोपालगंज जिले का प्रतिवेदन तैयार कर भेजा जा रहा है:-

| क्र० | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रतिवेदन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या-४८५० / २०२१ (ARISING OUT OF SLP (CIVIL) NO-33675 OF 2017) के अनुसार कंडिका -२७ में देश के सभी राज्यों के मठ/मंदिरों की परिसंपत्तियों को किसी सेवादार को बेचने का अधिकार नहीं है, सेवादार हकदार नहीं है। सेवादार का नाम सिर्फ राजस्व विभाग के रिमार्क कॉलम में ही रह सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन। | कार्यालय आदेश ज्ञापांक-७५१/रा० दिनांक-२९.०३.२०२२ द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या-४८५०/२०२१ (ARISING OUT OF SLP (CIVIL) NO-33675 OF 2017) के कंडिका -२७ के अनुपालन हेतु सभी अंचलाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता/अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता गोपालगंज को आदेशित किया गया है। (आदेश की प्रति संलग्न) |
| 2    | अपने अधीनस्थ क्षेत्र के अधीन मठ/मंदिर, जो निबंधित/अनिबंधित है, का कुल संख्या प्रमण्डलवार/जिलावार खाता, खेसरा, रकबा (एकड़) में उपलब्ध कराया जाय, साथ ही दरभंगा प्रमण्डल में ५५३३ एकड़, मुंगेर प्रमण्डल में ३३७३ एकड़, तिरहुत प्रमण्डल में ५८०० एकड़ भूमि से संबंधित वांछित सूचना के संबंध में प्रमण्डलीय आयुक्त समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायें।                                             | गोपालगंज जिलान्तर्गत अंचलाधिकारी के द्वारा चिन्हित कर प्रतिवेदित किया गया है कि निबंधित/पंजीकृत मठ/मंदिरों/धार्मिक न्यास की संख्या कुल-४३, रकबा-४८२.८८ एकड़ एवं गैरपंजीकृत/अनिबंधित की संख्या-१०८ रकबा-४०४.२५ एकड़ कुल-८८७. एकड़ है। (सूची संलग्न)                                                                            |

|   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अन्तर्गत चिन्हित/सर्वेक्षित मठ/मंदिर की भूमि की पैमाईश कराकर पिलरिंग हेतु वांछित राशि से संबंधित आवंटन का माँग प्रतिवेदन।                                              | गोपालगंज जिला के क्षेत्राधिकार में अवस्थित धार्मिक स्थल यथा मठ/मंदिर/धर्मशाला आदि की अचल संपत्ति (भूमि) के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्यालय का पत्रांक-238/रा0 दिनांक-04.02.2022 एवं 239 दिनांक-04.02.2022 (छायाप्रति संलग्न) से सभी अंचल अधिकारी, जिला गोपालगंज को जमीन के सीमांकन/पैमाईश एवं पिलरिंग करने हेतु निदेशित किया गया है। सीमांकन/पैमाईश के पश्चात पीलरिंग हेतु प्राक्कलन के आधार पर आवंटन की माँग की जाएगी। |
| 4 | अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अंतर्गत मठ/मंदिर की वैसी जमीन जिसपर अवैध कब्जा है, उसकी पूरी सूची एवं उसे मुक्त कराने एवं बिक्री पर रोक लगाने की क्या कार्रवाई की गयी इससे संबंधित कार्रवाई प्रतिवेदन। | अंचलाधिकारियों, से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अतिक्रमण का प्रतिवेदन शून्य है। इस संबंध में धार्मिक न्यास की ओर से भी अतिक्रमण/अवैध कब्जा के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                        |

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0-यथावर्णित।

विश्वासभाजन।

समग्रहर्ता,  
गोपालगंज



# समाहरणालय, गोपालगंज

(जिला राजस्व शाखा)

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद, बिहार, पटना मठ मंदिरों की भूमि का विवरण

| क्र० | जिला का नाम | कुल अंचल की संख्या | मठ मंदिरों/धार्मिक न्यास की संख्या/क्षेत्रफल एकड़ में |                    |             |                    | कुल क्षेत्रफल एकड़ में (5+7) |
|------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------------------|
|      |             |                    | पंजीकृत                                               |                    | गैर पंजीकृत |                    |                              |
|      |             |                    | संख्या                                                | क्षेत्रफल एकड़ में | संख्या      | क्षेत्रफल एकड़ में |                              |
| 1    | 2           | 3                  | 4                                                     | 5                  | 6           | 7                  | 8                            |
| 1    | गोपालगंज    | 14                 | 43                                                    | 482.88             | 108         | 404.25             | 887.13                       |

समाहर्ता,  
गोपालगंज

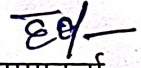
## समाहरणालय, गोपालगंज

(जिला राजस्व शाखा)

### आदेश

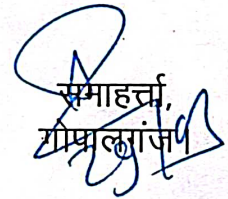
विधि विभाग, बिहार, पटना क पत्र संख्या-1255/जे0 दिनांक-05.03.2022 द्वारा माचननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या-4850/2021(ARISING OUT OF SLP (CIVIL) NO-33675 OF 2017) के कंडिका-27 के अनुपालन हेतु निदेशित किया गया है, जिसके अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश अंकित है कि " देश के सभी राज्यों के मठ/मंदिरों की परिसंपत्तियों को सेवा को किसी सेवादार को बचने का अधिकार नहीं है, सेवादार हकदार नहीं है। सेवादार का नाम सिर्फ राजस्व विभाग के रिमार्क कॉलम में ही रह सकता है।"

अतः सभी अंचल अधिकारी, गोपालगंज/जिला अवर निबंधक, गोपालगंज/अवर निबंधक पदाधिकारी, गोपालगंज/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोपालगंज/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज एवं अपर समाहर्ता, गोपालगंज को आदेश दिया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या-4850/2021(ARISING OUT OF SLP (CIVIL) NO-33675 OF 2017) के कंडिका-27 के अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

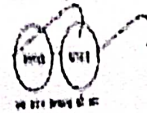
  
समाहर्ता,  
गोपालगंज।

ज्ञापांक-.....त.51...../रा0, दिनांक-29-03-2022

- प्रतिलिपि- सभी अंचलाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि- सभी अवर निबंधक, जिला- गोपालगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि- भूमि सुधार उप समाहर्ता/ अनुमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज एवं हथुआ को सादर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा/सामान्य शाखा गोपालगंज को सादर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि- अपर समाहर्ता, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि- आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।  
प्रतिलिपि- अध्यक्ष, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।  
प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

  
समाहर्ता,  
गोपालगंज।





समाहरणालय, गोपालगंज  
(जिला राजस्व शाखा)

फोन नं०- 06156-226001, 226003  
फैक्स नं०-06156-226004  
Email-ID:-dm-gopalganj,blh@nic.in



पत्र संख्या 239 /  
दिनांक 04 / 02 / 2022

प्रेषक,

समाहर्ता,  
गोपालगंज।

सेवा में,

सभी अंचल अधिकारी,  
जिला-गोपालगंज।

विषय :- धार्मिक न्यास से संबंधित भूमि का पिलरिंग कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक-28.01.2022 को प्रमण्डलीय बैठक में धार्मिक न्यास से संबंधित परिसम्पत्तियों की समीक्षा के क्रम में धार्मिक न्यास से संबंधित भूमि का पिलरिंग कराने का निर्देश प्राप्त है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देश दिया जाता है कि धार्मिक न्यास से संबंधित भूमि का पिलरिंग कार्य पूर्ण कराकर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि उक्त माद में राशि की आवश्यकता हो तो आवंटन अधियाचना उपलब्ध करायेंगे ताकि आवंटन की मांग की जा सके।

विश्वासमानजन

5.2

समाहर्ता,  
गोपालगंज।



समाहरणालय, गोपालगंज  
(जिला राजस्व शाखा)

नं०— 06156-226001, 226003  
फैक्स नं०—06156-226004  
Eil-ID:-dm-gopalganj.blh@nic.in



पत्र संख्या.238.../  
दिनांक...04./02/2022

समाहर्ता,  
गोपालगंज।

सेवा में,

सभी अंचल अधिकारी,  
जिला—गोपालगंज।

विषय :- धार्मिक न्यास से संबंधित परिसंपत्तियों का मापी कराकर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन  
उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक—28.1.2022 को प्रमण्डलीय बैठक में बिहार राज्य धार्मिक  
न्यास पटना से सम्बद्ध मंदिरों/मठों की परिसंपत्तियों को चिन्हित करने के उद्देश्य से गापी कराने का  
निदेश प्राप्त है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने अंचल क्षेत्रान्तर्गत  
धार्मिक न्यास की परिसंपत्तियों का मापी कराकर संलग्न विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन दिनांक—15.02.22  
तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनु० अधिकारी

विश्वासभाजन  
समाहर्ता,  
गोपालगंज।